

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

प्रकरण संख्या:- 11/24 (दि. 11. 24)
दर्ज तिथि:- 5/3/24
निर्णय दिनांक:- 5/3/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करने बाबत।

—:निर्णय:—

दिनांक: 05/3/2024

राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में तहसील मण्डावर जिला दौसा पर तहसीलदार मण्डावर के पत्रांक/भू.अ./2024/206 दिनांक 22.2.2024 के द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक -पं.3(2) एवं भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत प्रस्ताव ग्राम टहलडी पटवार हल्का उकरुंद तहसील मण्डावर जिला दौसा के हाल ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 746/567 किस्म चरागाह की कुल भूमि 0.23 है० में से 0.12 हैक्टयर (12 एयर) को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै०मु० रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे।

तहसीलदार मण्डावर की अभिशंषा रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का तथा भू०अ०नि० द्वारा उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है एवं सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकितानुसार राजस्व ग्राम टहलडी पटवार हल्का उकरुंद तहसील मण्डावर जिला दौसा के हाल ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 746/567 किस्म चरागाह की कुल भूमि 0.23 है० में से 0.12 हैक्टयर (12 एयर) के उक्त प्रस्तावित खसरा नम्बरान पर रास्ता मौके पर प्रचलित है तथा उक्त खसरा नम्बरान की प्रस्तावित भूमि को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै०मु० रास्तों के रूप में दर्ज किया जाना उचित होगा, अपनी अभिशंषा के साथ अवगत कराया गया है।

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक-पं.3(2) राज. =6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम टहलडी पटवार हल्का उकरुंद तहसील मण्डावर जिला दौसा के हाल ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 746/567 किस्म चरागाह की कुल भूमि 0.23 है० में से 0.12 हैक्टयर (12 एयर) को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाइटल परिवर्तन किये गै०मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

यह आदेश मेरे द्वारा राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर